| |
|---|
| दिनांक 23.11.2022 |
| प्रेस विज्ञप्ति 23 / 2022 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस झण्डा दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 को पुलिस झण्डा (स्टीकर) लगाया गया

आज दिनांक 23–11–2022 को पुलिस झण्डा दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी को श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस झण्डा (स्टीकर) लगाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस झण्डा दिवस के अवसर पर सभी पुलिसजन को शुभकामनाएं दी गयी ।

## पुलिस मुख्यालय में पुलिस झण्डा दिवस 2022 (Police Flag Day) का आयोजन किया गया

आज दिनांक 23–11–2022 को पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के प्रांगण में '**पुलिस झण्डा दिवस**' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस ध्वज को ध्वज स्तम्भ के निकट ससम्मान लाया गया। **श्री देवेन्द्र सिंह चौहान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 व पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पुलिस ध्वज का अभिवादन किया गया एवं बैण्ड द्वारा 'सारे जहाँ से अच्छा' धुन बजायी गयी।**

श्री देवेन्द्र सिंह चौहान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा गया :–

प्रिय साथियों,

आज हम सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के 71 वें झण्डा दिवस के गौरवशाली अवसर पर एकत्रित हुये हैं। जैसा कि आप सभी अवगत है कि 23 नवम्बर 1952 को तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को पुलिस ध्वज प्रदान किया गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश, देश का प्रथम राज्य है, जिसे उसके अप्रतिम योगदान के फलस्वरूप प्रदान किया गया है।

पुलिस ध्वज के फहराने और उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते समय हमें आत्माभिमान की अनुभूति होती है। यह सम्मान हमें सामूहिक प्रयास एवं सामूहिक कुर्बानी, त्याग एवं तपस्या की वजह से प्राप्त हुआ।

आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर और अधिक प्रभावी पुलिसिंग के लिए लगातार प्रयास किये जा रहें हैं, जिसके कम में एक शानदार विचार की कल्पना कर, उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रत्येक रैंक को **प्रतीक चिन्ह (Insignia)** देने का निर्णय लिया गया। 01 नवम्बर, 2022 को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश स्तर से उत्तर प्रदेश पुलिस के **प्रतीक चिन्ह (Insignia)** का विमोचन कर सभी रैंक के पुलिस कार्मिकों को प्रदान किया गया, जो वर्दी पर धारण किया जायेगा।

**मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा,** उनके अमूल्य निर्देशन एवं **अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति** के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदेश को आतंकवाद, नक्सलवाद, माफिया, डकैत एवं संगठित अपराध से मुक्त करते हुये एक सुरक्षित एवं समृद्ध प्रदेश का निर्माण कर जनता में सरकार का विश्वास कायम किया है।

मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस में **खिलाड़ियों को सेवायोजन** का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 534 (335 पुरूष व 199 महिला) आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर खिलाड़ियों के सेवायोजन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है।

महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु **'मिशन–शक्ति'** अभियान के अन्तर्गत एन्टी रोमियों स्क्वॉड को और सक्रिय करते हुए प्रत्येक थाने पर महिला हेल्पडेस्क व साइबर थानों पर महिला साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किये गये है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में **पी0ए0सी0 महिला पुलिस बटालियनों** की स्थापना की गयी है।

प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (SSF), दैवीय तथा अन्य आपदाओं में राहत पहुंचाने के लिये राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु एण्टी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स (ANTF) के गठन के साथ–साथ भ्रष्टाचार के विरूद्व **'जीरो टॉलरेंस नीति'** के तहत भ्रष्टाचार निवारण संगठन (ACO) की 08 और शाखायें बढ़ायी गयी हैं।

वर्तमान में 18 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर क्राइम थानों की स्थापना की गयी एवं 57 जनपदीय मुख्यालयों पर साइबर क्राइम थानों की स्थापना के सम्बन्धित कार्यवाही प्रचलित है। साइबर अपराध जागरूकता कैम्पेन व प्रशिक्षण कार्यक्रम को विभिन्न चरणों में चलाया जा रहा है। साइबर अपराध करने वालों के विरूद्ध एवं सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी व भ्रामक खबरें फैलाने वालों के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही की गयी है। जनशिकायतों का समाधान एवं निरन्तर संवाद द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया ने जनता का विश्वास अर्जित किया है।

UP 112 की सेवा के माध्यम से पुलिस की गतिशीलता, रिस्पांस टाईम में सुधार तथा फुट पेट्रोलिंग के जरिये पुलिस की बढ़ती विजिबिलिटी ने अपराध नियंत्रण के साथ ही जनसंवाद को बढ़ाया है। UP 112 सेवा को वीमेन पावर लाइन 1090, जीआरपी, फायर सर्विस, महिला हेल्प लाइन 181 सेवा, एम्बुलेंस सेवा 108 व उ0 प्र0 राज्य परिवहन के साथ एकीकृत किया गया है

निष्पक्ष कार्य करने की स्वतंत्रता एवं संस्थागत सुधारों ने पुलिस के मनोबल में अभूतपूर्व वृद्धि की है। इन सब उपायों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में समस्त जघन्य अपराधों की अपराध–दर में उल्लेखनीय कमी आयी है।

उत्तर प्रदेश पुलिस आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दृढ संकल्प है। जो भी अपराधी अपराध करने की चेष्ठा करेगा उसे उत्तर प्रदेश पुलिस **पाताल लोक** से भी ढूंढ कर कानून के कठघरे में खड़ा कर कानून सम्मत कठोर से कठोर सजा दिलायेगी।

अन्त में पुलिस झण्डा दिवस के अवसर पर आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनायें देते हुए अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी इस गौरवशाली अतीत की गरिमामयी उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश पुलिस के स्वर्णिम इतिहास में नित नये आयाम स्थापित करते रहेंगे तथा अपने सथियों जिन्होने कुर्बानी दी, अपना सब कुछ न्यौछावर किया, यह ध्वज प्राप्त करने के लिये उनको अपने दिल में हमेशा सम्मान पूर्वक याद करते हुए अपनी इस गौरवशाली परम्परा को आगे बढ़ाते रहेंगे

जय हिन्द!

1

1

1

**पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा इण्टरमीडिएट में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले पुलिस परिवार के दो मेधावी छात्र/छात्रा को पुरस्कृत किया गया।**

श्री देवेन्द्र सिंह चौहान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 23–11–2022 को पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में पुलिस परिवार के दो छात्र/छात्रा को पुरस्कृत किया गया।

उल्लेखनीय है कि स्व0 श्री ए0के0दास पूर्व महानिदेशक, उ0प्र0 की स्मृति में उनके जन्म दिवस के अवसर पर पुलिस परिवार के आरक्षियों के इण्टरमीडिएट में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दो मेधावी छात्र/छात्रा को पुरस्कार स्वरूप 10,000 रूपये, मेडल एवं प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की परम्परा वर्ष 2016 से प्रारम्भ की गयी है।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा इस वर्ष निम्न मेधावी छात्र/छात्रा को पुलिस मुख्यालय के सभागार में पुरस्कृत किया गया–

- जनपद मेरठ, 44 वीं वाहिनी पीएसी में नियुक्त आरक्षी श्री सुधीर कुमार की पुत्री कु0 मेघा को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने CBSE बोर्ड से इण्टरमीडिएट की परीक्षा में 94 प्रतिशत अंक प्राप्त किये।
- जनपद रायबरेली में नियुक्त महिला आरक्षी श्रीमती मनोज कुमारी के पुत्र श्री दीपांशू को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने UP बोर्ड से इण्टरमीडिएट की परीक्षा में 89.4 प्रतिशत अंक प्राप्त किये।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा इन मेधावी बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं ।

कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट फॉर कैरियर स्टडीज की फाउन्डर डायरेक्टर डा0 अमृता दास जी उपस्थित रहीं।

इस अवसर पर श्री प्रशान्त कुमार अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, श्री पी0सी0 मीना अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन, श्री संजय सिंघल अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, श्री एन. रविन्दर अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0 सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, इंस्टीट्यूट फॉर कैरियर स्टडीज के सदस्य/पुरस्कृत छात्र/छात्रा के परिवारीजन उपस्थित रहे।

## जनपद बुलन्दशहर/थाना छतारी

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 22/23.11.2022 को थाना छतारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पंड्रावल से पहासू जाने वाले रोड पर मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सौरभ घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खुर्जा नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–999/2022 धारा 364 भादवि, मु0अ0सं0–306/2022 धारा 364/511/323 भादवि , मु0अ0सं0–1017/2022 धारा 307/414/482/420 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना छतारी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–सौरभ निवासी हसनपुर कलॉ थाना किठौर जनपद मेरठ।

**बरामदगी**

1–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

**जनपद गाजियाबाद/थाना लोनी**

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 23.11.2022 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बंथला चिरोड़ी रोड पर मोटरसाकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ में की गयी कार्यवाही से अभियुक्त शाहिद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बागपत, गाजियाबाद, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–शाहिद निवासी निठोरा रोड अहमदनगर लोनी जनपद गाजियाबाद।

**बरामदगी**

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

## जनपद आगरा/थाना जगदीशपुरा

- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 20 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **01 चार पहिया वाहन**
- **12 हजार रूपये नगद**
- **आधार कार्ड व चोरी करने के उपकरण आदि बरामद**

दिनॉकः 22.11.2022 को थाना जगदीशपुरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ओम फैक्ट्री के पास से 04 अभियुक्तों 1–ऋषिकेश 2–नीरज 3–अमित 4–अजय प्रताप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 20 लाख रूपये कीमत के चोरी सोने–चॉदी के आभूषण, 01 चार पहिया वाहन, 12 हजार रूपये नगद, आधार कार्ड, चोरी करने के उपकरण आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो जनपद आगरा व आस पास के जनपदों के मैरिज होम में रैकी कर योजना बनाकर चोरी की घटनाये कारित करते है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध जनपद आगरा, मथुरा के विभिन्न थानों पर चोरी के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जगदीशपुरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–ऋषिकेश निवासी हुलखेडी थाना बोडा जनपद राजगढ़।

2–नीरज निवासी हुलखेडी थाना बोडा जनपद राजगढ़।

3–अमित निवासी पहाडीपुरा थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद।

4–अजय प्रताप निवासी पहाडीपुरा थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद।

**बरामदगी**

1–लगभग 20 लाख रूपये कीमत के चोरी सोने–चॉदी के आभूषण।

2–01 चार पहिया वाहन।

3–12 हजार रूपये नगद।

4–आधार कार्ड , चोरी करने के उपकरण आदि।

**जनपद रायबरेली/थाना भदोखर**

- **07 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **चोरी के 50 हजार 300 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **02 मोटर साइकिल**
- **चोरी करने के उपकरण**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 23.11.2022 को थाना भदोखर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भुएमऊ गॉव से पहले जंगल के पास 07 अभियुक्तों 1–रंजीत 2–दयाशंकर 3–नितिन 4–आलोक कुमार 5–देशलाल 6–अमृतलाल 7–लाल बहादुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग

03 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, चोरी के 50 हजार 300 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 02 मोटर साइकिल, चोरी करने के उपकरण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त लाल बहादुर, आलोक कुमार, रंजीत के विरूद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानों पर चोरी के 07–07 अभियोग, अभियुक्त नितिन के विरूद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानों पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट के 01 दर्जन अभियोग, अभियुक्त दयाशंकर के विरूद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के 15 अभियोग, अभियुक्त अमृत लाल के विरूद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट के 09 अभियोग, अभियुक्त देशलाल के विरूद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानों पर चोरी, सदोष मानव बध, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों से बरामद रूपये व आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना भदोखपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1–रंजीत निवासी बेहटा थाना भदोखर जनपद रायबरेली।

2–दयाशंकर निवासी पूरे कथिकन मजरे सोरा थाना हरचंदपुर जनपद रायबरेली।

3–नितिन निवासी श्यामनगर छजलापुर थाना मिलएरिया जनपद रायबरेली।

4–आलोक कुमार निवासी बरगदहा थाना भदोखर जनपद रायबरेली।

5–देशलाल निवासी बरगदहा थाना भदोखर जनपद रायबरेली।

6–अमृतलाल निवासी पूरे हुल्ली मजरे कुचमा थाना हरचंदपुर जनपद रायबरेली।

7—लाल बहादुर निवासी पूरे मेदनी सिंह का पुरवा मजरे मुरेठी थाना गदागंज जनपद रायबरेली।

**बरामदगी**

1—लगभग 03 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण।

2—चोरी के 50 हजार 300 रूपये नगद।

3—02 मोबाइल फोन।

4—02 मोटर साइकिल।

5—चोरी करने के उपकरण।

6—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस आदि।

**जनपद फतेहपुर/थाना हुसैनगंज**

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 23.11.2022 को थाना हुसैनगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1—शैलेन्द्र उर्फ राहुल 2—अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना हुसैनगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—शैलेन्द्र उर्फ राहुल निवासी कल्याणपुर बेती थाना डलमऊ जनपद रायबरेली।

2—अर्जुन निवासी बसोहनी थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर।

**बरामदगी**

1—चोरी की 10 मोटर साइकिल।

➢ **<u>जनपद प्रयागराज (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 अरब 23 करोड़ 28 लाख 40 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद प्रयागराज पुलिस ने अभियुक्त अतीक अहमद पुत्र स्व0 हाजी फिरोज अहमद निवासी 52 कसारी मसारी व 95 चकिया थाना खुल्दाबाद जनपद प्रयागराज द्वारा अपने परिजनों के नाम अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 अरब 23 करोड़ 28 लाख 40 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

**एसटीएफः <u>अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, उनके कब्जे से 55 किलोग्राम गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 14 लाख रूपये) व तस्करी में प्रयुक्त 01 अदद कार बरामद।</u>**

दिनांकः 23–11–2022 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अन्तर्राज्यीय गिरोह के 02 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से तस्करी हेतु प्रयोग की जा रही विशेष कैविटी युक्त 01 अदद कार (मारूति एसएक्स–4) सहित 55 किलो ग्राम गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग़ 14 लाख रूपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–</u>**

1. शम्भू कुमार यादव पुत्र बीरेन्द्र सिंह यादव निवासी ग्राम डुभुकी थाना कृष्णाबरम जनपद बक्सर, बिहार **(चालक)**।
2. साहब सिंह पुत्र रमेष सिंह निवासी बक्सर, बिहार **(सहायक)**

**<u>बरामदगीः–</u>**

**1**– 55 किलो ग्राम गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 14 लाख रूपये)।

**2**– 01 अदद एसएक्स–4 कार नं0-HR26BK8250

**3**– 02 अदद मोबाइल फोन।

**4**– नकद 150/– रूपये।

**गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय**

आर0बी0एस0 महाविद्यालय, मेजा माण्डा तिराहा से आगे कोरॉव की तरफ थाना क्षेत्र मेजा जनपद प्रयागराज। दिनांक 23–11–2022 समय 01.50 बजे,

विगत दिनों से एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देषित किया गया था। उक्त निर्देष के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांकः 23–11–2022 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज की टीम जनपद प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र में आपराधिक अभिसूचना संकलन में मौजूद थी, इसी दौरान ज्ञात हुआ कि अवैध मादक पदार्थों की व्यापक तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य अपने सहयोगियों के साथ आज कोरापुट, उड़ीसा से अवैध मादक पदार्थों की खेप लेकर एसएक्स–4 कार से मध्य प्रदेष के रास्ते प्रयागराज से वाराणसी ले जाने वाले है। इस सूचना पर निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह, मु0आरक्षी हबीब सिद्‌दीकी, आरक्षी पंकज तिवारी, आरक्षी अजय सिंह यादव, आरक्षी कमाण्डो दिलीप यादव व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र में आर0बी0एस0 महाविद्यालय, मेजा माण्डा तिराहा के पास से आवष्यक बल प्रयोग कर 02 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया गया कि यह कार सुधीर सिंह पुत्र कमला प्रसाद सिंह निवासी ग्राम गरहटा खुर्द थाना ब्रम्हपुर जिला बक्सर, बिहार हालपता–खुशहाल नगर सेक्टर–बी निकट ग्रीन वैली स्कूल वाराणसी की है, जिसके द्वारा इस कार में विशेष रूप से गॉजा तस्करी हेतु कैविटी बनवायी गयी है। यह गॉजा सुधीर सिंह ने ही मंगाया है, जो वाराणसी में रहकर जनपद वाराणसी एवं उसके आस–पास के जनपदों में अवैध गॉजें की तस्करी का कार्य करता है। हम लोग यह

गॉजा कोरापुट, उड़ीसा निवासी आदि दादा से लिए थे। इसके पूर्व भी हम लोग कई बार सुधीर सिंह के लिए यह काम कर चुके है। इस काम के लिए हम लोगों को प्रति चक्कर 20,000 रूपये मिलता है।

विदित हो कि दिनांक 04—10—2022 को दो कारों में बने विशेष कैविटी में लगभग 1.40 कुन्तल गॉजा छिपाकर उड़ीसा से वाराणसी लाया जा रहा था। जिसे एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई प्रयागराज द्वारा थाना क्षेत्र ड्रमण्डगंज जनपद मिर्जापुर से बरामद कर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। जिनके विरूद्ध थाना ड्रमण्डगंज जनपद मिर्जापुर में मु0अ0सं0 08/2022 धारा 8/20/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत हुआ था, इस अभियोग में सुधीर सिंह वांछित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मेजा, जनपद प्रयागराज में मु0अ0सं0—688/2022 धारा— 8/20/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———————